566

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

सं०–12/एम०$_2$–1065/2004–......3808....../भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा नियमावली, 2012 (यथासंशोधित) में और संशोधन हेतु निम्न नियमावली गठित करते है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–
   (1) यह नियमावली झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020 कही जाएगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   (3) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

2. झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा नियमावली, 2012 (यथासंशोधित), जिसे इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा जाएगा, के नियम–9 के उप नियम–1 (iii) को विलोपित किया जाता है।

3. मूल नियमावली के नियम–11 के उप नियम–(क) एवं (ग) को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है :–

   (क) पुलिस उपाधीक्षक के मूल कोटि में प्रोन्नति आधारित नियुक्तियाँ पुलिस निरीक्षक, प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक, निरीक्षक(सशस्त्र) एवं परिचारी प्रवर की पंक्ति के पदाधिकारियों की संयुक्त वरीयता सूची से वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर , निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र, वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों तथा आरोपों की स्थिति के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जायेगी।

   (ग) विचारण क्षेत्र में आने वाले पुलिस निरीक्षक, प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक, निरीक्षक(सशस्त्र) एवं परिचारी प्रवर के पंक्ति के पदाधिकारियों की वरीयता सूची वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों तथा आरोपों की स्थिति पुलिस महानिदेशक द्वारा गृह विभाग को उपलब्ध करायी जायगी।

4. मूल नियमावली के नियम–14 के उप–नियम–4 को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है :–

   ''पुलिस उपाधीक्षक के मूल कोटि में प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त पदाधिकारियों को झारखण्ड पुलिस हस्तक नियमावली के संबधित नियम के अनुरूप राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना एवं नियुक्ति के उपरांत प्रथम छः माह के भीतर जंगल वारफेयर स्कूल, नेतरहाट में छः सप्ताह का अधिष्ठापन पाठ्यक्रम (Induction Course) प्रशिक्षण के रूप में करना, सेवा सम्पुष्टि के लिए अनिवार्य होगा।''

5. मूल नियमावली के नियम–14 में उप–नियम–(9) निम्नवत अंतःस्थापित किया जाता है:–

   ''पुलिस उपाधीक्षक के मूल कोटि में सीधी नियुक्ति प्रक्रिया से आने वाले पदाधिकारियों को सेवा संपुष्टि के लिए राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित होने वाले जनजातीय भाषा परीक्षा में से किसी एक जनजातीय भाषा में निम्न स्तर से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त होने वाले वैसे पुलिस उपाधीक्षक जो अपनी पिछली सेवा/संवर्ग में उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए है, के लिए भी इस परीक्षा में उत्तीर्णता सेवा संपुष्टि हेतु अनिवार्य होगा।''

6. मूल नियमावली के नियम–11(ख)(2) को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है :–

   ''पुलिस निरीक्षक/ प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक/ निरीक्षक(सशस्त्र) / परिचारी प्रवर को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति हेतु ग्रेड पे में निर्धारित कालावधि लागू होंगे।''

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

5/10/20

(राजीव अरूण एक्का)
सरकार के प्रधान सचिव।

365

ज्ञापांक–12/एमo_2–1065/2004–3808/ राँची, दिनांक– 07/10/2020 ई०।

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, झारखण्ड, पो०–डोरण्डा, राँची/ नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 6.10.20

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–12/एमo_2–1065/2004–3808/ राँची, दिनांक– 07/10/2020 ई०।

प्रतिलिपि :– माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड /प्रधान सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड/प्रधान सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड /सचिव, योजना –सह–वित्त विभाग, झारखण्ड /सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/ महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/ महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा/महानिदेशक, झा0स0पु0, झारखण्ड, राँची/अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची/महानिदेशक, झा0स0पु0, झारखण्ड, राँची/सभी अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, झारखण्ड/सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/ दफ्तरी, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 6.10.20

सरकार के प्रधान सचिव।